



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक एफ 2( )परावि/प्रशा.1/RRDS-2018/प्रशिक्षण/2021/1243

जयपुर, दिनांक 22/04/2022

मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद, सम्बन्धित।

विषय:—राजस्थान राज्य सेवाओं के आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम बैच 2021 के द्वितीय चरण के सम्बन्ध में अधिकारियों को कार्यमुक्त करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में राजस्थान राज्य सेवाओं के आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम बैच 2021 का द्वितीय चरण दिनांक 25.4.2022 से प्रारंभ हो रहा है। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभाग के राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के वर्ष 2021 में चयनित अधिकारियों को भाग लेना है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा बैच 2021 के अधिकारी (जिनके द्वारा पूर्व में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया हो) को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर अपनी उपस्थिति दिनांक 25.4.2022 को दिनांक 9.30 बजे हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करावें।

(डॉ. प्रवीण कुमार)

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव(द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग।
7. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशिक्षण) को सूचनार्थ
8. जिला कलेक्टर, सम्बन्धित।
9. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सम्बन्धित।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सम्बन्धित।
11. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा (बैच 2021) के सम्बन्धित अधिकारी जिनके द्वारा पूर्व में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया है वह दिनांक 25.4.2022 को प्रातः 9.30 बजे अपनी उपस्थिति प्रशिक्षण हेतु प्रस्तुत करें।

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव(द्वितीय)